



## उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,

(निकट- ओ०एन०जी०सी० हेलीपैड) नौम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)

दूरभाष: 0135-2559898, website: <https://uttarakhandtourism.gov.in>

पत्रांक संख्या-7923 / 2-2-557 / 2023-24

दिनांक:- 09/02/2024

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ (थल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा एवं वायु क्रीड़ा) के संविदा/नियत वेतन के सृजित पद हेतु नियम व शर्तें

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में साहसिक पर्यटन विंग के अधीन विषय विशेषज्ञ- थल क्रीड़ा 01 पद, जल क्रीड़ा 01 पद एवं वायु क्रीड़ा 01 पद कुल 03 पदों को संविदा/नियत वेतन के आधार पर अनुबन्धात्मक रूप से 02 वर्षों के लिए नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक इस विज्ञापित के साथ दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप पर अपना आवेदन अभिलेखों सहित स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित करें, जो कि इस कार्यालय को दिनांक 29.02.2024 सायं 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

कृपया निम्न मानदेय, अर्हतायें सम्बन्धी विवरण सहित ही नियम एवं शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर नियमानुसार आवेदन करें।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की संख्या	नियत मानदेय	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं
01	विषय विशेषज्ञ (थल क्रीड़ा)	01	रु०-70,000/- प्रतिमाह	संविदा/नियत वेतन (चयन समिति के माध्यम से खुले बाजार से चयन द्वारा)	(1) शैक्षिक योग्यता- स्नातक। (2) पर्वतारोहण में मान्यताप्राप्त संस्थान से Basic Course, Advance Course, MOI अथवा S & R Qualified। (3) 6000 मीटर की ऊँचाई के 01 पर्वत का सफलतापूर्वक आरोहण एवं 7000 मीटर की ऊँचाई के 01 पर्वत का सफलतापूर्वक आरोहण। (4) मान्यता प्राप्त संस्थान से स्कीईंग में बेसिक, इण्टरमीडिएट, एडवान्स कोर्स एवं MOI क्वालीफाइड अथवा स्कीईंग की 01 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग। (5) थल क्रीड़ा गतिविधियों के कार्य करने सम्बन्धी 05 वर्ष का अनुभव। (6) आयु सीमा (अधिकतम 45 वर्ष)।
02	विषय विशेषज्ञ (जल क्रीड़ा)	01	रु०-70,000/- प्रतिमाह	-तदेव-	(1) शैक्षिक योग्यता- स्नातक। (2) जल क्रीड़ा में Basic Course, Intermediate, Advance Course, Qualified। (3) जल क्रीड़ा (क्याकिंग/रोईंग/कनोईंग/Sailing/राफिटिंग) में राष्ट्रीय स्तर की किसी एक प्रतियोगिता में प्रतिभाग। (4) जल क्रीड़ा गतिविधियों के कार्य करने सम्बन्धी 05 वर्ष का अनुभव। (5) आयु सीमा (अधिकतम 45 वर्ष)।

03	विषय विशेषज्ञ (वायु क्रीड़ा)	01	रू0-70,000 /- प्रतिमाह	संविदा / नियत वेतन (चयन समिति के माध्यम से खुले बाजार से चयन द्वारा)	(1) शैक्षिक योग्यता- स्नातक। (2) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पायलट रैंकिंग प्राप्त। (3) (a) वायु क्रीड़ा (पैराग्लाइडिंग) में P1, P2, P3, SIV तथा 35 किलोमीटर X Country Qualified। (b) वायु क्रीड़ा (पैरामोटर/हैंगग्लाइडिंग / माइक्रोलाइट/बलूनिंग/स्काई डाइविंग) में किसी एक में मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त। (4) वायु क्रीड़ा सम्बन्धी राष्ट्रीय स्तर की 01 प्रतियोगिता में प्रतिभाग। (5) वायु क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव। (6) आयु सीमा (अधिकतम 45 वर्ष)।
----	------------------------------	----	------------------------	--	--

**नियम व शर्त:-**

- विज्ञापित पद पर चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अभिलेख मूल में प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही समस्त अभिलेखों की एक स्व: प्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु भी प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा हो से सम्बन्धित निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर ही आवेदन करें, किसी भी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- आवेदन पत्र प्रेषण के लिफाफे में स्पष्ट रूप से "साहसिक पर्यटन विंग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ(पदनाम)" हेतु आवेदन आवश्यक रूप से इंगित किया जाय।
- इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, (निकट-ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड) निम्बूवाला गढ़ीकैन्ट देहरादून-248001 के पते पर दिनांक:-29.02.2024 सांय 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।
- प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उल्लिखित योग्यताओं से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत न किये जा सकने पर अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के पास किसी पूर्व सूचना के प्रकाशित विज्ञापित को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(सचिन कुर्वे)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।